उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-22/2024/प्र0स0-37/एक-1-2024-1-1099/89/2024

लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)</u>

उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2024 से सम्बन्धित परियोजनाओं की सहज संस्थापना हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जाता हैः-

1- "उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-77(1) की भूमियों को छोड़कर धारा-59 की उपधारा-2 के खण्ड-(एक),(तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा।"

2- उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2024 के अंतर्गत भूमि क्रय करने की लैण्ड सीलिंग में छूट की अनुमति के लिए सम्बन्धित निवेशकों/विकासकर्ताओं के आवेदन प्राप्त होने की तिथि से कलेक्टर/मण्डलायुक्त/शासन स्तर के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की जाती है। साथ ही आवेदन देने की तिथि से 60 दिन तक भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने विषयक आदेश न होने पर भूमि क्रय करने की अनुमति स्वतः (डीम्ड अनुमति) मान ली जायेगी।

3. यह भूमि अहस्तान्तरणीय होगी। यदि आंवटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

पी0 गुरूप्रसाद

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अशासकीय पत्र संख्या-377/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024, दिनांक-14.03.2024 के क्रम में।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।